फ़ोटो: अस्तित्व

# अस्तित्व के बढ़ते कदम

**दीपा गुप्ता व नूपुर बहुखंडी**

*अस्तित्व* समूह की स्थापना मई 2008 को देहरादून में की गई थी। समूह का उद्देश्य था निम्न आय वाली कामगार महिलाओं को सशक्त बनाना जिससे वे बेहतर आमदनी वाले काम कर सकें और अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम बनें।

इस समूह की शुरूआत के पीछे यह सोच थी कि महिलाओं का आर्थिक दर्जा उनको व उनके बच्चों को मिलने वाले मौकों और हक़ों पर सीधा प्रभाव डालता है। लिहाज़ा कम आमदनी व कम आर्थिक नियंत्रण का प्रभाव स्वास्थ्य, शिक्षा व पैसे के उपयोग संबंधी निर्णयों में कम भागीदारी में दिखाई पड़ता है। इससे कारण औरतों व बच्चों को हिंसा का भी अधिक सामना करना पड़ता है।

*अस्तित्व* समुदाय के साथ मिलकर काम करता है तथा इससे जुड़ी 70% महिलाएं घरों में काम करती हैं या पहले कभी घरेलू कामगार रह चुकी हैं। करीब 5% औरतें निर्माण मज़दूर हैं। समुदाय के 50% पुरुष निर्माण मज़दूर हैं या फिर सेल्समेन, दर्ज़ी, बढ़ई, ड्राइवर, माली अथवा हेल्पर हैं।

चूंकि *अस्तित्व* से जुड़ने वाली महिलाएं ज़्यादातर घरों में काम करती हैं लिहाज़ा समूह के काम में कुछ ऐसी विशेष गतिविधियां शामिल हैं जो घरेलू कामगारों के सशक्तीकरण को मद्देनज़र रखकर चलाई जा रही हैं।

## घरेलू कामगार समूहों का संगठन

पिछले एक वर्ष से *अस्तित्व* घरेलू कामगारों को संगठित करने के लिए उनकी नियमित मीटिंग आयोजित कर रहा है। शुरूआत देहरादून के दीपनगर इलाके से की गई, जहां घरेलू कामगारों का सबसे गरीब वर्ग बसता है। पहले-पहल

मीटिंग करना मुश्किल हुआ क्योंकि महिलाएं मीटिंग का वक्त और दिन याद नहीं रख पाती थीं। फिर समूह ने हर हफ़्ते एक खास दिन पर मीटिंग रखनी शुरू की जिससे अधिक औरतें इसमें शामिल हो सकें। धीरे-धीरे मीटिंग में आने वाली घरेलू कामगारों की संख्या बढ़ी तथा वे लम्बे समय तक बातचीत में हिस्सा लेने लगीं। वे अपनी समस्याओं के बारे में भी खुलकर बताने लगीं। समूह ने दो औरतों को इन मीटिंगों का नेतृत्व करने के लिए चुना। *अस्तित्व* की भूमिका इस समूह को प्रशिक्षण सहयोग व मश्विरा देने तक सीमित रखी गई। इससे समूह में शामिल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। इन मीटिंगों में घरेलू कामगारों के मालिकों को भी आमंत्रित किया गया है जिससे समस्याओं के निवारण में सहयोग मिल सके।

## घरेलू कामगारों के लिए रोज़गार व्यवस्था

घरों में काम करने वाली महिलाएं *अस्तित्व* से रोज़गार तलाशने में सहयोग मांगती हैं। कुछ औरतें स्कूल में काम या फिर सिलाई आदि भी करने की इच्छुक हैं। समूह इन कामगारों से कुछ जानकारी एकत्रित करता है जिसमें काम का समय, अवधि, कौन सा काम करना चाहती हैं, वेतन आदि शामिल हैं जिससे उन्हें उनकी पसंद का काम दिलवाया जा सके। *अस्तित्व* के पास कुछ ऐसी युवा लड़कियां भी आती हैं जो घरों में छुट-पुट काम करती हैं। समूह इन लड़कियों को ऐसा काम मुहैय्या कराने में सहायता करता है जहां समय की पाबंदी न हो जिससे लड़कियां की शिक्षा जारी रह सके। *अस्तित्व* के 'लाडली' कार्यक्रम के तहत इन लड़कियों को कम्प्यूटर चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

## मालिकों के साथ काम

घरेलू कामगारों की तलाश में कई मालिक भी *अस्तित्व* समूह को संपर्क करते हैं। शुरू में इन मालिकों का रवैया थोड़ा कठोर व रूखा होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अच्छे कामगार भेजना *अस्तित्व* की ज़िम्मेदारी है। वे अपना अधिकार दिखाकर समूह पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। कई मालिक कामगारों की शिकायतें भी लेकर आते हैं जैसे "हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए" या "आप कामगार को बिगाड़ रहे हैं", "कामगार परेशान करते हैं" आदि। इस तरह के किस्से *अस्तित्व* को अपनी रणनीति व सोच का पुनरावलोकन करने के लिए प्रेरित करते हैं।

मालिकों को भी समझाया जाता है कि समूह का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में कम आय वाले कामगारों के हितों को ध्यान में रखकर काम करना है। समूह ने कामगार व मालिकों के बीच समस्याओं को सुलझाने के लिए अस्तित्व के दफ़्तर में आने को कहा जाता है जिससे बातचीत एक बराबरी के माहौल में की जा सके। मालिकों को एक फार्म भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे हफ्ते में एक छुट्टी और अच्छे व्यवहार की बात दर्ज होती है। समूह मालिकों को यह भी सुझाव देता है कि वे वेतन 400 प्रति काम की दर से तय करें। फुलटाईम काम के लिए कम से कम 2500 रुपये माहवार तय किया गया है। मालिकों से सौ रुपये की पंजीकरण फीस ली जाती है जिसकी एक वर्ष की वैधता होती है।

फोटो: अस्तित्व

फोटो: अस्तित्व

आमतौर पर *अस्तित्व* मालिक व घरेलू कामगारों के बीच एक व्यवसायिक रवैया विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। औरतों को सही समय पर काम पर जाने, क्या काम करना है इसकी पूरी जानकारी पाने, वेतन, छुट्टी तथा अतिरिक्त कामों के लिए पैसे लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। *अस्तित्व* समूह की कोशिश रहती है कि घरेलू कामगार अपने काम की कीमत समझें तथा उसे सम्मान की नज़र से देखें जिससे दूसरे भी उनकी व उनके काम की इज़्ज़त करें।

## काम की प्रभावशाली रणनीतियां

काम पर नियुक्ति के बाद अक्सर मालिक व घरेलू कामगार दोनों *अस्तित्व* के पास अपनी-अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। कामगार कम वेतन और अधिक काम की शिकायत करते हैं। कभी-कभी जब कामगारों को कम अनुभव होता है और काम करने की मजबूरी तब वे कम वेतन पर भी काम करने को राज़ी हो जाती हैं। कुछ कामगारों को मालिकों के व्यवहार, ठीक से न बोलने-चालने, चाय-पानी न देने या धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें होती हैं। दूसरी ओर मालिकों को यह परेशानी होती है कि काम करने वाली औरतें नियमित रूप से काम पर नहीं आतीं या फिर देर से आती हैं। ज़्यादा छुट्टी या बिना बताए छुट्टी लेने की समस्या भी होती है।

*अस्तित्व* समूह ने यह पाया कि अधिकांश मालिकों के लिए कामगारों को थोड़ा अधिक वेतन देने में मुश्किल नहीं होती। वे इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं बस उनकी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। *अस्तित्व* ने इस दिशा में सफलता भी पाई है और समूह द्वारा नौकरी पर लगाई गई घरेलू कामगारों को अच्छा वेतन मिलता है। समूह ने इस बात की भी कोशिश की है कि कामगार मालिकों को अपनी समस्याएं बताएं और एकदम से काम पर जाना बंद न करें। अगर किसी कारणवश वे खुद मालिक से बात नहीं कर पातीं तो समूह इस काम में उनकी सहायता करता है।

## बच्चों के लिए बालवाड़ी

*अस्तित्व* ने अपने समुदाय के घरेलू कामगारों के बच्चों के लिए 'खुशी' बालवाड़ी की व्यवस्था की है। ये क्रेश *लतिका रॉय फाउंडेशन* की सहायता से चलाया जाता है। यहां गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया-पढ़ाया जाता है। इस बालवाड़ी में 1-5 वर्ष के पच्चीस बच्चे हैं जो सुबह आठ से शाम छः बजे तक रहते हैं। इन बच्चों को दिन में दो बार खाना तथा फल व दूध दिया जाता है। बालवाड़ी में केवल घरेलू कामगारों के बच्चों को रखा जाता है जिससे वे आराम से काम पर जा सकें।

घरेलू कामगारों को बालवाड़ी में आकर अपने बच्चों की बातें व व्यक्तिगत समस्याओं की जानकारी बांटने में मदद मिलती है। इस क्रेश के ज़रिए *अस्तित्व* समूह घरों में काम करने वाली महिलाओं के साथ एक रिश्ता बनाने में सफल हुआ है। इस बालवाड़ी में सहयोग करने के लिए काफी दोस्त व साथी भी आगे आए हैं।

*अस्तित्व* ने इन सभी गतिविधियों के साथ-साथ स्वास्थ्य केंद्र जिसमें स्त्री रोग व बाल चिकित्सा प्रदान की जाती है, भी शुरू किए है। हिंसा पर कानूनी सलाह, परामर्श केन्द्र आदि भी घरेलू कामगार महिलाओं को मदद देने के लिए शुरू किये गये हैं। यहां पर आने वाली महिला पीड़ितों को काम के ज़रिए अपनी आर्थिक स्वायत्तता बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे वे सशक्त महसूस कर सकें।